

पूर्व मध्य रेल

कार्यालय आदेश सं०:-435/2021

सोनपुर मंडल के विद्युत(टीआरओ) विभाग के अधीन कार्यरत निम्नलिखित कर्मचारियों का अंतर रेलवे पारस्परिक स्थानांतरण पर दोनो मंडल की सहमति उपरांत सोनपुर मंडल के कर्मचारी को विरमण से संबंधित आदेश निम्न प्रकार जारी किया जाता है:-

| क्रम सं० | सोनपुर मंडल के कर्मचारी का नाम | पारस्परिक स्थानांतरण हेतु सोनपुर मंडल द्वारा जारी सहमति पत्र | अन्य रेलवे/मंडल के कर्मचारी का नाम | पारस्परिक स्थानांतरण हेतु अन्य रेलवे/मंडल द्वारा जारी सहमति पत्र | अभियुक्ति |
|----------|--|--|--|--|--|
| 01. | श्री करण मेशक नाग पुत्री श्री विजय कुमार नाग सलोपा (वि.) / बरौनी लेवल-02 | KA/283/Mech/IR-ID/MT/Sr.ALP-ALP/SEE/20/Pt-I, dt.-24.09.2020 | श्री सुमित कुमार खेसला पुत्र विजय खोसला, प्रसलोपा(वि०+डी०)/ द.पू.रे./चक्रधरपुर लेवल-04 | SER/P-CKP/LR/223/18/IRMT/ALP/2021, Dt-30.03.21 | सलोपा लेवल-02 में निम्नतम वरीयता पर पारस्परिक स्थानांतरण पर सहमति प्रदान की गई है। |
| 02. | श्री सुशांत कुमार पात्रा पुत्र-श्री कार्तिकेश्वर पात्रा, सलोपा (वि.) / बरौनी लेवल-02 | KA/283/Mech/IR-ID/MT/Sr.ALP-ALP/SEE/20/Pt-I, dt.-27.10.2020 | श्री राज किशोर साह, पुत्र श्री दूधनाथ साह, प्रसलोपा (वि०+डी०) /टाटा नगर/ द.पू.रे./चक्रधरपुर लेवल-04 | SER/P-CKP/LR/TMS/223/IRMT/ALP/RKS-SKP/2021, Dt-12.04.21 | सलोपा लेवल-02 में निम्नतम वरीयता पर पारस्परिक स्थानांतरण पर सहमति प्रदान की गई है। |

कुल 02 कर्मचारी मात्र।

पारस्परिक स्थानांतरण निम्न शर्तों के अंतर्गत अनुमेय होगा।

- विरमण के समय कर्मचारी डीएआर/एस०पी०ई० मामलो से मुक्त होना चाहिये।
- नियमानुसार दोनो कर्मचारियों को किसी प्रकार का भत्ता तथा सीटीजी/पास/स्थानांतरण अवकाश देय नहीं होगा।
- नियमानुसार दोनों कर्मचारी पुराने मंडल में दुबारा स्थानांतरण नहीं लेंगे।
- वरीयता पारस्परिक स्थानांतरण के नियमानुसार निर्धारित किया जाएगा।

अतः सोनपुर मंडल के उपरोक्त कर्मचारियों को इस कार्यालय में सत्यापित पहचान के साथ विरमित कर भेजें, जिससे संबंधित मंडल/रेलवे को विरमित किया जा सके।

उपरोक्त पर वमविई(टीआरओ) महोदय का आदेश प्राप्त है।

(बिजय इंजीनियर)


सकाधि-111

कृते मंरेप्र(का०)/सोनपुर

सं०:-KA/283/Elect.(TRO)/IRMT/SON/2021/Part-II, दिनांक:-20.07.2021

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनाथ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

01. मंरेप्र(का०)/पूर्व मध्य रेलवे/डी.डी.यू./दक्षिण पूर्व रेलवे/रांची।
02. वमविई/टीआरओ/सोनपुर। 03. मु०कू०नि०/संयुक्त लॉबी/बरौनी।
04. संबंधित कर्मचारी। 05. अभिलेख प्रति।
06. मंडल मंत्री/ईसीआरकेयू, ओबीसी, अजा-अजजा एशो०/सोनपुर मंडल।


 20.7.21
 कृते मंरेप्र(का०)/सोनपुर